न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 989 / 2022

अनवान : –

1. असमित कुमार पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. संतलाल पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

3. बजरंग पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– तरतीवी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 5/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 27 / 28 की कुल 6.3630हैक भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी स0 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 27 / 28 ईएक्सपी–1, वारिस प्रमाण पत्र ब्लॉक मैम्बर पंचायत समिति नोहर ईएक्सपी–2 आदि दस्तावेज पेश किये। तरतीबी प्रतिवादी स0 3 को वकील [illegible]

प्रकरण में प्रतिवादी [illegible] होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वा[illegible]श किया गया जि[illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही त[illegible]चात उभयपक्षों की ब[illegible] सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व तरतीवी प्रतिवादी स0 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 27/28 की कुल 6.3630हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत ब्लॉक मैम्बर पंचायत समिति नोहर का प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जी. जी.एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 27/28 की कुल 6.3630हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से 2.024हैक्ट भूमि में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी स0 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5.1.4.1.23........ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 989/2022
अनवान : –

1. असमित कुमार पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. संतलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

3. बजरंग पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– तरतीवी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 989 सन 2022 निर्णय दिनांक......5/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/ अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 27/28 की कुल 6.3630हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से 2.024हैक्ट भूमि में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी स0 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक ....5/4/23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested